



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092025-266031
CG-DL-E-09092025-266031

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3977]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 2025/भाद्र 18, 1947

No. 3977]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 2025/BHADRA 18, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2025

का.आ. 4092(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.879(अ) दिनांक 17/02/2025 जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 19/02/2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में JTN#176 to BALOL GGS-I VIA JTN#247 ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, द्वारा, गुजरात राज्य के लक्ष्मीपुरा, खारा, मीठा ओर बलोल गांव, तहसील मेहसाणा एवं जिला मेहसाणा में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 25/02/2025 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है; और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

पाइप लाइन रूट मैप फॉर ड्रिल साइट JTN# 176 To BALOL GGS-I VIA JTN# 247

तालुका:- मेहसाणा

जिला:- मेहसाणा

राज्य:- गुजरात

गाँव का नाम		सर्वे / ब्लोक न.	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1		2	3		
1	लक्ष्मीपुरा	498	00	02	50
2		500	00	08	00
3		501	00	03	00
4		502	00	05	00
5		490	00	19	00
6	खारा	6	00	01	50
7		8	00	24	50
8		9	00	14	50
9		10	00	36	00
10		12	00	23	00
11		357	00	01	00
12		229	00	16	00
13		15	00	08	50
14		16	00	17	20
15		17	00	09	00
16		19	00	07	50
17		20	00	08	00
18		21	00	08	00
19		22	00	17	00
20		23	00	15	50
21		24	00	13	00
22		25	00	14	00
23		26	00	26	00

24		214	00	11	50
25		27	00	11	00
26		28	00	14	50
27		29	00	14	50
28	मीठा	572	00	21	00
29		575	00	16	00
30		576	00	09	20
31		577	00	03	50
32		578	00	02	50
33		579	00	19	20
34		580	00	07	50
35		582	00	21	50
36		583	00	17	00
37		590	00	26	00
38		591	00	03	50
39	बलोल	3713	00	01	50
40		1727	00	04	50
41		1726	00	12	50
42		1723	00	08	50
43		1722	00	06	50
44		1724	00	02	00
45		1721	00	01	00
46		1720	00	09	50
47		1718	00	11	00
48		1700	00	20	50
49		1701	00	09	50
50		1702	00	12	50
51		1703	00	07	20
52		1704	00	01	00
53		1695	00	08	10
54		1693	00	07	20
55		1696	00	01	00
56		1694	00	01	00
57		1692	00	01	80
58		1691	00	13	00
		क्षेत्रफल	06-35-90		

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/14/2024-इएक्सपीएल-पीएनजी(ई-51584)]

सचिन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2025

S.O. 4092(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 879(E) Dated 17/02/2025 issued under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra-ordinary Gazette of India dated 19/02/2025 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline from JTN#176 to BALOL GGS-I VIA JTN#247 in Laxmipura, Khara, Mitha & Balol villages, Tal. Mehsana & Dist. Mehsana in the State of Gujarat to be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Extra-ordinary Gazette notification were made available to the public up to dated: 25/02/2025 .

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation ltd. free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

\SCHEDULE

PIPE LINE FOR DRILL SITE JTN#176 TO BALOL GGS-I VIA JTN#247

TALUKA: MEHSANA

DISTRICT: MEHSANA

STATE: GUJARAT

Name of village		Survey No./ Block No.	ROU Area		
			Hq.	Are	Sq. mtr.
1		2	3		
1	Laxmipura	498	00	02	50
2		500	00	08	00
3		501	00	03	00
4		502	00	05	00
5		490	00	19	00
6	Khara	6	00	01	50
7		8	00	24	50
8		9	00	14	50
9		10	00	36	00
10		12	00	23	00
11		357	00	01	00
12		229	00	16	00
13		15	00	08	50
14		16	00	17	20
15		17	00	09	00
16		19	00	07	50
17		20	00	08	00
18		21	00	08	00
19		22	00	17	00
20		23	00	15	50
21		24	00	13	00

22		25	00	14	00
23		26	00	26	00
24		214	00	11	50
25		27	00	11	00
26		28	00	14	50
27		29	00	14	50
28	Mitha	572	00	21	00
29		575	00	16	00
30		576	00	09	20
31		577	00	03	50
32		578	00	02	50
33		579	00	19	20
34		580	00	07	50
35		582	00	21	50
36		583	00	17	00
37		590	00	26	00
38		591	00	03	50
39	Balol	3713	00	01	50
40		1727	00	04	50
41		1726	00	12	50
42		1723	00	08	50
43		1722	00	06	50
44		1724	00	02	00
45		1721	00	01	00
46		1720	00	09	50
47		1718	00	11	00
48		1700	00	20	50
49		1701	00	09	50
50		1702	00	12	50
51		1703	00	07	20
52		1704	00	01	00
53		1695	00	08	10
54		1693	00	07	20
55		1696	00	01	00
56		1694	00	01	00
57		1692	00	01	80
58		1691	00	13	00
		Total	06-35-90		

[F. No. Expl-13011(26)/14/2024-EXPL-PNG (E-51584)]

SACHIN KUMAR, Under Secy.